

भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की शुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

*Recommended
for Approval*

Ok
22/11/16

सुनेश चन्द
मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन विभाग
वन (संरक्षण) अतिरिक्त, 200
20-10, जयपुर

दिनांक-
स्थान-

हस्ताक्षर
नाम-
सरकारी मोहर